निष्कर्ष

किसी भी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब उस राष्ट्र की सभी इकाइयों को बराबरी के अवसर और अनुकूल परिस्थितियाँ मुहैया कराई जाए अन्यथा समता और समानता का स्वप्न देखना बेकार है। आजादी के 68 वर्ष के बाद भी अगर हम अपने राष्ट्र को एक नजर देखें तो हमें समझ आ जाएगा कि आज भी हम एक असमान व्यवस्था में जीने को मजबूर हैं। इस असमान व्यवस्था का सबसे बड़ा कारण हमारी वे मानसिकता वे पुरुषवादी सोच है जोकि लिंग भेदभाव की राजनीति पर टिकी हुई है। लैंगिक भेदभाव की राजनीति और पुरुषवादी सोच महिलाओं के शोषण का सबसे बड़ा कारण है। समाज में महिलाओं की दोयम दर्जे की स्थिति इसी कारण बनी हुई है क्योंकि हमारा समाज महिलाओं की भूमिकाओं मे आज भी कोई परिवर्तन नहीं चाहता, वह उसे वैसे ही देखना चाहता है जैसे रामायण की सीता और मनुस्मृति की वे महिला जिसमें वह बालपन से बुढ़ापे तक एक पुरुष के संरक्षण में रहती है। महिलाओं की स्वतन्त्रता हमारे समाज को बर्दाश्त नहीं है वह नहीं चाहता कि महिलाएं बराबरी का दर्जा प्राप्त करें वह भी आजादी का आनंद ले। महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए परिवार नाम की संस्था महत्वपूर्ण ढंग से काम करती है और इस संस्था पर प्रश्न उठाना नैतिक मूल्यों के हनन की कचहरी में चला जाता है और इस संस्था के विरोध में मुक़द्दमा लड़ना बहुत ही मुश्किल काम है । इसलिए समझौते पर समझौते करना मजबूरी भी है और बेबसी भी है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकलने के मौके तो मिले मगर बहुत ही संघर्ष के बाद उन्हें ये आजादी प्राप्त हुई जिसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। महिलाएं घर के बाहर तो निकली मगर घर के बाहर भी एक पूरी व्यवस्था उनके शोषण के लिए बैठी है जैसी व्यवस्था घर में थी वैसी ही बाहर भी है। महिलाओं को दोहरे काम की मार झेलनी पड़ती है महिलाओं का शोषण दोहरा हो गया है। घर की भूमिकाओं में कोई परिवर्तन नहीं मगर नौकरी करके आत्मनिर्भर बनने की चाह महिलाओं को हिम्मत देती है कि आत्मनिर्भर होने पर उनकी स्थितियों में सुधार जरूर होगा मगर यहा मानना उनकी भूल ही है। यह हमारी आधी आबादी की कहानी है। इसी संदर्भ में कुछ लाइनें है जो महत्वपूर्ण हैं।

'साड़ी पहनो औरत बनो

बीवी बनो वे कहते है, कढ़ाई करने वाली बनो,

बावर्ची बनो

झगड़ालू बनो नौकरो के प्रति, उपयुक्त बनो, आह।

हिस्सा बनो।

साँचो मे ढलने वाले चीखे"[1]।

महिलाओं के संदर्भ में अगर परिवार को एक शोषणकारी और हिंसात्मक संस्था के रूप में परिभाषित किया जाएँ तो शायद ग़लत नहीं होगा। मगर हमारा पुरुषवादी समाज यह मानने को ही तैयार नहीं है कि महिलाओं के साथ घर परिवार में हिंसा होती है। आज महिलाओं को उनके परिवार में संरक्षण देने के लिए घरेलू हिंसा कानून है जोकि 2005 में बना था इसके बावजूद आज भी बहुत से लोग ये मानने को ही तैयार नहीं है कि महिलाओं के साथ घर परिवार में कोई हिंसा होती है बल्कि उन्हें तो दुख होता है कि महिलाओं के लिए इस तरह का कानून बन कैसे गया। यह घरेलू हिंसा के कुछ ऐसे पक्षधरों की समझ है जोकि पत्नी को पीटना जायज मानते हैं। ऐसे ही कुछ पक्षधर तब भी मौजूद थे जब इस संदर्भ में कानून नहीं बना था उस समय इस तरह के कानून बनाने की लगातार कोशिशें महिला संगठनो द्वारा चल रही थीं। जिसके परिणामस्वरूप 2005 में घरेलू हिंसा पर कानून बन पाया था।

अत: उपरोक्त लघु शोध 'कामकाजी महिला और घरेलू हिंसा' के संदर्भ में किया गया है जिसमें परिवार और उसके स्वरूप को जानने समझने का मौका मिला। इस लघु शोध में पहला अध्याय 'कामकाजी महिलाएं और हिंसा' है। इस अध्याय में कामकाजी महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा पर बात की गयी है। जिसमें घरेलू हिंसा व कार्यस्थल पर होने वाली हिंसा का जिक्र किया गया है। इस शोध का दूसरा अध्याय है 'घरेलू हिंसा के संदर्भ में कामकाजी महिलाओं के अनुभव' यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में कामकाजी महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा के संदर्भ में लिए साक्षात्कारों को अनुभव के रूप में शामिल किया गया है। इस शोध का तीसरा अध्याय है 'कामकाजी महिलाओं का संघर्ष और घरेलू हिंसा' इस अध्याय में कामकाजी महिलाओं के साथ जिस तरह की हिंसा होती है और उस हिंसा में कौन-कौन से मुद्दे निकाल कर आते हैं वह सब इस अध्याय मे शामिल किए गए है। इस शोध का चौथा अध्याय है 'कामकाजी महिलाएं और घरेलू हिंसा कानून का जागरूकता स्तर' इस अध्याय में यह बताने की कोशिश की गयी है कि पढ़ी लिखी महिलाएं इस कानून के बारे में क्या राय रखती हैं ,इस पर विषय पर क्या सोचती हैं तथा महिलाएं घरेलू हिंसा को किस तरह देखती हैं। महिलाओं द्वारा दी गयी

[1] कुमार राकेश (2004),स्त्रीवादी विवर्ष क्यों,नारीवादी विमर्श,पृ.16

जानकारी व अन्य लोगों से बातचीत के आधार पर घरेलू हिंसा के संदर्भ में कामकाजी महिलाओं का जागरूकता स्तर मापने की कोशिश की गयी है।

जिन सवालों को लेकर शोध की पूरी रूपरेखा तैयार की गयी थी उन सभी सवालों के जवाब मिल पाये हैं जैसे कि इस शोध का पहला सवाल था कि कामकाजी महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा का स्वरूप क्या है?और किस तरह की हिंसा महिलाओं के साथ होती है?इसका उत्तर कुछ यूं मिला कि आज की कामकाजी महिलाओं के साथ मारपीट वाली हिंसा कहीं भी देखने को नहीं मिली है। महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा का मानसिक हिंसा स्वरूप बहुत ही व्यापक है। महिलाओं के साथ मानसिक हिंसा एक बहुत ही बड़े स्तर पर हो रही है। चूंकि मानसिक हिंसा को पहचानना बहुत ही कठिन है इसलिए यह मुद्दा बहुत ही बड़ा है जिसके बारे में गंभीरता से सोचा जाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। मानसिक हिंसा के कारण महिलाएं तनाव से ग्रस्त हो रही है। वहीं इस शोध का दूसरा सवाल था कि कामकाजी महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना क्या घरेलू हिंसा के स्वरूप को बदल देता है? इसका उत्तर यह है कि ऐसा बिलकुल नहीं है महिलाएं आत्मनिर्भर होकर भी घरेलू हिंसा से आजाद नहीं है। हमारा समाज महिलाओं से जितनी अपेक्षाएँ रखता है वह उनके आत्मनिर्भर होने के बाद भी बनी रहती है वह उनमें कोई परिवर्तन नहीं चाहता जिसके कारण महिलाएं आत्मनिर्भर होकर भी तिहरा बोझ सहने को मजबूर है। इस शोध का अंतिम सवाल था कि घरेलू हिंसा कानून के बारे में महिलाओं की जागरूकता का स्तर क्या है?इस सवाल का जवाब कुछ यूं है ज़्यादातर महिलाओं को इस कानून के बारे में जानकारी है मगर इसके इस्तेमाल की बात जब आती है तो उनमें से ज़्यादातर का मानना था कि कहा-सुनी या छोटी-मोटी बातें तो हर घर में लगी रहती है और छोटी-छोटी बातों पर कानून का सहारा लेने से परिवार टूट जाएंगे और समाज में बदनामी होगी जिसके कारण वह इसका इस्तेमाल करने से बचती हैं या उन्हें खुद ऐसा नहीं लगता कि थप्पड़ मार देना या थोड़ी बहुत कहा-सुनी में अगर थोड़ा एडजस्ट कर लिया जाएँ तो कोई बुराई उसमें नहीं है। महिलाओं के हक में बने क़ानूनों का फायदा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि महिलाएं इन पुरुषवादी मूल्यों से खुद को आजाद नहीं कर पाएँगी और तब तक नहीं हो सकता जब तक महिलाएं अपने ऊपर हो रही हिंसा को सामान्य हिंसा से हटाकर नहीं सोचेंगी।

अत:इस शोध से जो मुद्दे निकले उनमें से एक मुद्दा यह है कि 'स्वयं से अलगाव' महिलाएं अपने आप से अलगाव महसूस कर रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि महिलाओं के साथ जैसा बर्ताव और जो उम्मीदे उनसे रखी जाती हैं वह उनसे ऊब गयी है और उन महिलाओं के अंदर एक भाव पैदा हो गया ही कि औरत होने के कारण उनके साथ ऐसा होना ही है। इसलिए वे खुद को ही

दोषी मानती हैं। महिलाएं ज़्यादातर जिम्मेदारियाँ मजबूरी में निभाती है जिसके कारण उन्हें ऐसा बहुत कुछ करना पड़ता है जोकि वह नहीं करना चाहती और ऐसी परिस्थितियों में वे अपने आप से अलगाव महसूस करती हैं।

इस शोध के दौरान एक दूसरा मुद्दा जो निकल कर आया वह यह है कि महिलाओं के साथ मानसिक हिंसा बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रही है चूंकि यह हिंसा मारपीट वाली हिंसा से बिलकुल अलग है तो इस तरह की हिंसा को पहचान पाना बहुत ही मुश्किल है खुद महिलाएं भी नहीं जान पाती कि वे घरेलू हिंसा को एक व्यापक स्तर पर झेल रही हैं। मारपीट वाली हिंसा को पहचानना बहुत आसान है मगर मानसिक हिंसा को पहचानना बहुत ही मुश्किल है और यह मुश्किल तब और जायदा बढ़ जाती है जब यह हिंसा वह व्यक्ति भी नहीं समझ पता जिसके साथ हो रही है मगर वे इससे पीड़ित है।